कार्यालय जिला पंचायत,गाजीपुर

पत्रांक– 139 /नक्शा/जि0पं0गा0/2022–2023 दिनांक– 23/8/2022

गुरूकुल पंतजलि विद्यापीठ,
प्रबन्धक–श्री श्रीपति यादव,
पुत्र श्री खेदन सिंह यादव,
मु0–शास्त्रीनगर सदर तहसील के पीछे,
जनपद–गाजीपुर।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक–24.07.2022 के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित आराजी न0–71,72,28, 30स व 30ब, मौजा–रामपुर पट्टी, परगना व तहसील–जमानियां, जनपद–गाजीपुर में गुरूकुल पंतजलि विद्यापीठ, प्रबन्ध–श्री श्रीपति यादव पुत्र श्री खेदन सिंह यादव, मु0–शास्त्रीनगर सदर तहसील के पीछे,जनपद–गाजीपुर का अवलोकन करने का कष्ट करें। भू–स्वामि द्वारा शैक्षणिक भवन का निर्माण हो गया है। इस हेतु कुल प्लॉट एरिया–15748.00 वर्गमीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र को ड्राफ्टमैन /अभियन्ता, जिला पंचायत, गाजीपुर की आख्या दिनांक–26.07.2022 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी,जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रतिबन्धः–

1. मानचित्र के स्वीकृति उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत,गाजीपुर द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी,अथवा भवन को सील किया जा सकता है।
2. मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग,अग्निशमन विभाग प्रदूषण विभाग,पर्यावरण विभाग,वाणिज्य –कर विभाग व जिला प्रशासन से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति से नहीं किया जायेगा।
4. किसी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत,गाजीपुर इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा कार्यालय जिला पंचायत,गाजीपुर से सम्बन्धित किसी विवाद की स्थिति में अपील 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष,जिला पंचायत,गाजीपुर को किया जा सकता है, जिनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।
5. किसी शौचगृह को सड़क अथवा गली की ओर खुला रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. शौचलय इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें मल आदि की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था हो।
7. किसी भवन की कुर्सी भवन के निकट गली सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से 30 सेमी की दूरी रखी जायेगी। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिए होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
8. निर्माण के समय किसी प्रकार का सामान रास्ते मे इकट्ठा नहीं किया जायेगा,जो आगमन मे बाधा उत्पन्न होती हो।
9. प्रतिबन्ध यह भी हरेगा कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से लगाना अनिवार्य होगा।
10. भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी द्वारा करना होगा।
11. जिला पंचायत,गाजीपुर की नक्शा उपविधि का अक्षरशः पालन करना होगा।
12. प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि आवासीय भवन मे कम से कम 10 वृक्षों को वृक्षारोपण पर्यावरण की दृष्टि से करना अनिवार्य होगा।
13. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष तक मान्य होगा,उसके पश्चात् नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।

संलग्नक–मानचित्र दो प्रति।

23/8

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,गाजीपुर।